



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/सू-प्रबंध/विविध/115-748/ 947

रायपुर, दिनांक 19/04/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Rehabilitation and Upgradation of Panduka, Jatmai Ghatarani, Gaydabri, Madeli Mudagaon Road (Two Lane Public Road) area - 24.569.

पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/35248/2018

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक FC-II/IROCH-11/2022/965 नवा रायपुर दिनांक 12/10/2022
 2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-12/ 2021/ 10-2 दिनांक 04.11.2022
 2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक शा/ एफ.सी.ए./4116 दिनांक 11.04.2023

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा Rehabilitation and Upgradation of Panduka, Jatmai Ghatarani, Gaydabri, Madeli Mudagaon Road (Two Lane Public Road) हेतु प्रभावित कुल 24.569 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), रायपुर संभाग, लोक निर्माण विभाग, रायपुर का प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-3 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

S.No.	Conditions	Compliance
I.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्था द्वारा वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, का वचन पत्र दिया है। (संलग्नक-1)
II.	Compensatory Afforestation a. Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in equal revenue land of 24.600 ha which are spread in 3 different patches-Khasra No. 356, area 12.00 ha; Khasra No. 260 area 4.10 ha.. and Khasra no 468,694, area 8.500 ha in Taluka- Rajim, Block Fingeshwar, District Ganaband at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 24.569 हे. के लिए उपयुक्त स्थल चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की कुल राशि 22025135.00 (रु. दो करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार एक सौ पैंतीस मात्र) कैम्पा खाता में ई-पोर्टल के माध्यम से RTGS reference no. 123018347830 दिनांक 18.01.2023 को जमा कर दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)

	b. The proposed non-forest CA land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before Stage-II clearance	आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित समतुल्य राजस्व भूमि का कलेक्टर गरियाबंद द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं परिवर्तित किये जाने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। परिवर्तन की कार्यवाही हेतु संबंधित तहसीलदार के निर्देशानुसार समाचार पत्र में प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा संबंधित ग्राम एवं नगर में निवेश कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की जा चुकी है। (संलग्नक-3)
iii.	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10. years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost escalation for works scheduled for subsequent years	आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं परिवर्तित किये जाने के उपरांत आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड बैरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु वन विभाग के मांग पत्र अनुसार देय राशि आवेदक संस्था द्वारा जमा किया जावेगा। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
IV.	NPV: a. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 24.569 ha forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No, 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard	आवेदक संस्था द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) आंकलित राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के आदेशानुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 05.03.2007-FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि रकबा 24.569 हे. के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास-III सघन वन अनुसार प्रति हे. 1228590/- अनुसार राशि रु. 30185228/- (रु. तीन करोड़ एक लाख पचासी हजार दो सौ अठ्ठाईस मात्र) कैम्पा खाता में ई-पोर्टल के माध्यम से RTGS reference no. 123018347830 दिनांक 18.01.2023 को जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-4)
	b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदक संस्था द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है तो संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। इस आशय का वचन पत्र दिया है। (संलग्नक-5)
V.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	आवेदक संस्था द्वारा समस्त राशि CAMPA खाता में ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान जनरेट कराकर जमा किया गया है। इस आशय का वचन पत्र दिया गया है। (संलग्नक-6)

VI.	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CCS guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report.	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-7)।
VII.	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule-9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022.	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)
VIII.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में वृक्ष विदोहन संख्या 3333 मांग पत्र अनुसार राशि रु. 22,52,990/- (रु. बाईस लाख बावन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) वनमंडलाधिकारी गरियाबंद के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्र. 342203 दिनांक 17.12.2022 प्राप्त कर पी.डी. खाता चालान क्र. 08, दिनांक 13.01.2023 द्वारा जमा किया गया है। (संलग्नक-9)
IX.	The total project affected trees are 3333; comprised of 477 trees above 90 cm girth and the remaining 2856 trees below 90 cm girth class. The User agency shall minimize the number of project-affected trees	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)
X.	The Row of existing road and proposed road is 14 m	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)
XI.	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost. by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar,	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)
XII.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas:	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-13)
XIII.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986, if applicable.	परियोजना एक रेखीय है। उक्त मार्ग भारत का राजपत्र असाधारण भाग -II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली बृहस्पतिवार सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928 के बिन्दु 7(f) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत नहीं है। अतः पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक-14)

109

XIV.	The state shall ensure that the proposed structures provide safe passage to the wild animals, and desired that KML file of the entire alignments highlighting location of all structures (Pipe culverts, Box culverts, FCW, Slab Culverts etc) should be submitted to the IRO	आवेदक संस्था द्वारा शर्त मान्य करते हुए वचन पत्र एवं KML फाइल सी.डी. दिया गया है। (संलग्नक-15)
XV.	The designing of culverts/bridges, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals:	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)
XVI.	Roadside plantations on both sides of the road as per the IRC norms shall be raised by the State Forest Department from the funds provided by the User Agency. The State forest department shall prepare the plantation proposal giving preference to the native forest tree species including fruit-bearing tree species, and shall submit to the IRO, Raipur,	आवेदक संस्था द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु मांग पत्र के अनुसार रु. 36410704/- (रु. तीन करोड़ चौसठ लाख दस हजार सात सौ चार मात्र) वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल गरियाबंद के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र. 342499 दिनांक 18.01.2023 प्राप्त कर पी.डी. खाता चालान क्रमांक 10, दिनांक 27.01.2023 द्वारा जमा किया गया है। (संलग्नक-17)
XVII.	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदक संस्था द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा, का वचन पत्र दिया है। (संलग्नक-18)
XVIII.	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	आवेदक संस्था द्वारा श्रमिकों को इंधन उपलब्ध कराया जावेगा ताकि वनपरिस्थितियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो इस आशय का वचन पत्र दिया है। (संलग्नक-19)
XIX.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-20)
XX.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	आवेदक संस्था द्वारा ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस आशय का वचन पत्र दिया है। संलग्न। (संलग्नक-21)
XXI.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-22)
XXII.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-23)

XXIII.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार के अनुमति के बिना प्रस्तावित व्यपवर्तित भूमि को किसी भी व्यक्ति, विभाग या एजेंसी को हस्तांतरण नहीं किया जावेगा, का वचन पत्र दिया गया है। (संलग्नक-24)
XXIV.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-25)
XXV.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-26)
XXVI.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-27)

111

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-748 / ५५४

रायपुर, दिनांक 19/04/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 3333 वृक्षों के विदोहन हेतु प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
— एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 12.10.2022 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।
— वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी के पी.डी.खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमंडल, गरियाबंद, छत्तीसगढ़।
4. परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़